इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 69]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 30 जनवरी 2018-माघ 10, शक 1939

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2018

क्र. 84(9)-वि.निर्वा.-चार-2017-उपचुनाव-17.—भारत निर्वाचन आयोग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती हैं:—

- 1. क्रमांक 100/MP-LA/1/2018(Bye), दिनांक 30 जनवरी, 2018
- 2. क्रमांक 100/MP-LA/2/2018(Bye), दिनांक 30 जनवरी, 2018

एस. एस. बंसल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, तारीख 30 जनवरी, 2018—10 माघ, 1939 (शक)

अधिसूचना

100-म.प्र.-वि.स.-1-2018 (उप-निर्वाचन).—यत:, मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा में **34-मुंगावली** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित **श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा** के निधन के परिणामस्वरूप उनका स्थान दिनांक **11 सितम्बर 2017** को रिक्त हो गया है; और

2. यत:, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;

- 3. अत:, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धारा 30 एवं 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतदुद्वारा:—
 - (अ) मध्यप्रदेश राज्य में उक्त 34-मुंगावली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गये नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 03 मार्च, 2018 (शनिवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;
 - (आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित निर्धारित करता है :--

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख: - 06 फरवरी, 2018 (मंगलवार)

(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख: - 07 फरवरी, 2018 (बुधवार)

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख: - 09 फरवरी, 2018 (शुक्रवार)

(घ) वह तारीख, जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा: - 24 फरवरी, 2018 (शनिवार)

(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा: - 03 मार्च, 2018 (शनिवार); और

(इ) **8.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न** तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा.

आदेश से, हस्ता./-(अनुज जयपुरियार) प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 30th January, 2018—10 Magh, 1939 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100-MP-LA-1-2018 (Bye).—Whereas, the seat of **Shri Mahendra Singh Kalukheda** in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh, State, elected from **34-Mungaoli** Assembly Constituency has become vacant on 11th September, 2017 by reason of his death: and

- 2. Whereas, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
- 3. Now, THEREFORE, in pursuance of sub section (1) of Section 150 and Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby:—
 - (A) Calls upon the said 34-Mungaoli Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 03rd March, 2018 (Saturday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
 - (B) Appoints, with respect to the said election:—
 - (a) the 06th February, 2018 (Tuesday), as the last date for making nominations;
 - (b) the 07th February, 2018 (Wednesday), as the date for the scrutiny of nominations;

- (c) the 09th February, 2018 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 24th February, 2018 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken,
- (e) the 03rd March, 2018 (Saturday), as the date before which the election shall be completed; and
- (C) fixes the hours from 8.00 A.M. to 5.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

Sd./(ANUJ JAIPURIAR)
Principal Secretary.
Election Commission of India.

भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

तारीख 30 जनवरी, 2018-10 माघ, 1939 (शक)

अधिसूचना

100-म.प्र.-वि.स.-2-2018 (उप-निर्वाचन).—यतः, मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा में **27-कोलारस** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित **श्री राम सिंह यादव** के निधन के परिणामस्वरूप उनका स्थान दिनांक **18 अक्टूबर, 2017** को रिक्त हो गया है; और

- 2. यत:, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;
- 3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150, की उपधारा (1) और धारा 30 एवं 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वाराः—
 - (अ) मध्यप्रदेश राज्य में उक्त 27-कोलारस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गये नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 03 मार्च, 2018 (शनिवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए;
 - (आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित निर्धारित करता है :--

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख: - 06 फरवरी, 2018 (मंगलवार)

(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख: - 07 फरवरी, 2018 (बुधवार)

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख: - 09 फरवरी, 2018 (शुक्रवार)

(घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा: - 24 फरवरी, 2018 (शनिवार)

(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा: - 03 मार्च, 2018 (शनिवार); और

(इ) **8.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न** तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा.

> आदेश से, हस्ता./-(अनुज जयपुरियार) प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

Dated 30th January, 2018—10 Magha, 1939 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100-MP-LA-2-2018 (Bye).—Whereas, the seat of **Shri Ram Singh Yadav** in the Legislative Assembly of the Madhya Prades State, elected from **27-Kolaras** Assembly Constituency has become vacant on **18th October**, **2017**, by reason of his death: and

- 2. Whereas, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;
- 3. Now, THEREFORE, in pursuance of sub-section (1) of Section 150 and Section 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby—
 - (A) Calls upon the said 27-Kolaras Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 03rd March, 2018 (Saturday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
 - (B) Appoints, with respect to the said election,—
 - (a) the 06th February, 2018 (Tuesday), as the last date for making nominations;
 - (b) the 07th February, 2018 (Wednesday), as the date for the scrutiny of nominations;
 - (c) the 09th February, 2018 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - (d) the 24th February, 2018 (Satuaday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken,
 - (e) the 03rd March, 2018 (Saturday), as the date before which the election shall be completed; and
 - (C) Fixes the hours from 8.00 A.M. to 5.00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,

Sd./(ANUJ JAIPURIAR)
Principal Secretary,
Election Commission of India.